

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 46/2022  
रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/80

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक  
लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय – 4  
फ्लोर, फेज II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. बनाम  
769, माउन्ट रोड, अन्ना सलाई,  
चैन्नई।

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

1. श्री रतन सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह पता ग्राम  
पोस्ट अरथुना जिला बांसवाड़ा (ऋणी/  
अप्रार्थी)
2. श्रीमती गजरा कुंवर पत्नि श्री रतन सिंह पता  
राजपुत मौहल्ला, अरथुना जिला बांसवाड़ा  
(ऋणी/ अप्रार्थी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति  
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 25.01.2023

ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय अन्ना सलाई, चैन्नई ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1- श्री रतन सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह पता ग्राम पोस्ट अरथुना जिला बांसवाड़ा (ऋणी) 2- श्रीमती गजरा कुंवर पत्नि श्री रतन सिंह पता राजपुत मौहल्ला, अरथुना जिला बांसवाड़ा (ऋणी) को दिनांक 29-11-2019 को 1275000/- (अक्षरे बारह लाख पचहत्तर हजार मात्र) ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 09-07-2022 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 22-08-2022 तक कुल बकाया ऋण राशि 1419523 रु. (चौदह लाख उन्नीस हजार पाँच सौ तेईस रुपया) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में परिसम्पत्ति प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है। गिरवीकृत आवासीय सम्पत्ति अप्रार्थी गजरा कुंवर के मालकाना हक की खसरा सं. 2028, प्लॉट साईज पूर्व से पश्चिम 33 फीट 7 इंच व उत्तर से दक्षिण 50 फीट 6 इंच पर पुराना मकान, माप 1705 वर्ग फीट, स्थित मकान संख्या 172, राजपुत मौहल्ला, ग्राम पोस्ट अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा कुल क्षेत्रफल 1705 वर्गफीट है जिसके चारो सीमाओ में पूर्व में मकान लासिंह, पश्चिम में रतन सिंह की भूमि, उत्तर में स्वयं का बाड़ा दक्षिण में मैन रोड को बतौर प्रतिभूति हित से साम्यिक बन्धक किया है, उसे आसानी से लेने



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)

के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा जारी नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन का प्रमाण पत्र (कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 29 के अनुसार) दिनांक 09.09.2016 अनुसार कंपनी का नाम बदलकर ईक्विटास फायनेंस लिमिटेड से बदल कर ईक्विटास स्मॉल फायनेंस बैंक-लिमिटेड किया गया है। प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु वित्तीय संस्था पात्र है।


प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 24-08-2022 को ऋणी/सहऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व उसने ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 29-11-2019 को 1275000/- (अक्षरे बारह लाख पिचहत्तर हजार मात्र) ऋण स्वीकृत किया गया था अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 09-07-2022 को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 25.11.2022 को जारी किये गये। दिनांक 09.12.2022 को अप्रार्थीगणों की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार भट्ट व श्री राकेश पाटीदार अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 23.12.2022, 05.01.2023, 12.01.2023 को अप्रार्थीगणों के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत करने समय चाहने निवेदन करने पर न्यायहित में समय दिया गया, किन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किया। दिनांक 25.01.2023 को अप्रार्थीगणों के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर पुनः जवाब हेतु समय चाहा। जवाब हेतु पर्याप्त समय दिया जा चुका है, अब और समय दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगणों का जवाब बंद किये जाने आदेश दिये जाते हैं। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 24-08-2022 को ऋणी/सहऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व उसने ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 29-11-2019 को 1275000/- (अक्षरे बारह लाख पिचहत्तर हजार मात्र) ऋण स्वीकृत किया गया

अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने



  
न्यायाधीश एवं जिला न्यायाधीश  
बांसवाड़ा (राज.)

पर दिनांक 09-07-2022 को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 22-08-2022 तक कुल बकाया ऋण राशि 1419523 रु. (चौदह लाख उन्नीस हजार पाँच सौ तेईस रुपया) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में परिसम्पत्ति प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने आदेश फरमावे।


अप्रार्थीगणों के अधिवक्ता ने ऋण राशि जमा कर एन.ओ.सी पेश करने हेतु कुछ समय दिये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तीय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी/ अरथुना को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय अन्ना सलाई, चैन्नई को दिलाने के लिए बैंक/ वित्तीय संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
(प्रकाश चन्द्र शर्मा)  
क्लर्क एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बासवाड़ी (राज.)